न्यायालय– अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर ।
उपस्थितः–अनिल कुमार यादव, प्रथम (एच०जे०एस०)
प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–132/2025

1.राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र श्री छविनाथ सिंह, निवासी मकान सं० 870 मोहल्ला/ग्राम–हुसैनाबाद, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर। मूल निवास ग्राम ऊचगांव, परगना, गड़वारा, तहसील मछलीशहर, जौनपुर।

.....अपीलार्थी ।

बनाम

1–राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र स्व० रजतराम सिंह
2–विनय कुमार सिंह ।
3–जितेन्द्र सिंह ।
4–दयाशंकर सिंह ।
5–सिद्धार्थ सिंह । पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद सिंह प्रतिस्थापित वादीगण
निवासीगण ग्राम शेरवां परगना करियात दोस्त, तहसील सदर, जनपद जौनपुर, वर्तमान पता मकान नं० 487 सी, मोहल्ला हुसैनाबाद, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर।

.....प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) न्यू कोर्ट चतुर्थ, जौनपुर, द्वारा मूलवाद सं०–1504/2018 शारदा देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद व अन्य में पारित आदेश दिनांकित–09.07.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि प्रकीर्ण अपील में आलोच्य आदेश अवर न्यायालय विधि व तथ्य के विरूद्ध भ्रामक है एवं हर तरह से विचारणीय है। मूलवाद में प्रथमतः विवादित भूखण्ड को पैमाइश अमीन द्वारा पुलिस बल के साथ कराने का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 57 ग एवं उस पर प्रतिवादी को आपत्ति कागज संख्या 81 ग के लम्बित रहते तथ्य को छिपाकर शपथपत्र हीन प्रार्थनापत्र 119 ग ग्रहण करने में अवर न्यायालय ने भूल किया है। अवर न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति कागज संख्या 120 ग शपथ 121 ग के साथ प्रार्थनापत्र 122 ग के साथ अनुक्रमणीय 123 ग से अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया था कि वादी प्रार्थी तथ्य को छिपाकर राजस्व न्यायालय में दोहरा वाद कारित किया है जिसका अनुशीलन किये बगैर आपत्ति औपचारिक लिख कर मनमानी व काल्पनिक तौर पर आलोच्य आदेश किया है। आलोच्य आदेश दिनांकि 09.07.2025 अन्य कई कारणों से विधि व तथ्य के विरूद्ध, भ्रामक एवं निरस्तेय प्रार्थनापत्र 119 ग किसी आदेश के निस्तारण हेतु मातृ न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया जाना न्यायसंगत है। अतः अवर न्यायलाय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2025 को निरस्त कर विधिक आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। अपीलार्थी की ओर से आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपील संस्थित की गयी है। अतः संस्थित प्रकीर्ण अपील निरस्त की जाए।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.24 15:20:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur.

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद सं० 1504/2018 शारदा देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद व अन्य वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध आराजी निजाई निशानी अक्षर A, D, E, F व रास्ता निजाई F, G, H, I के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। उक्त वाद में वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र 119ग प्रस्तुत कर विवादित आराजी भूमिधरी 532/2/0.093 की हल्का अमीन द्वारा सर्वे मैप व रिपोर्ट तैयार किये जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति कगाज संख्या 120ग प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष को सुने जाने के पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 119ग स्वीकार किया और हल्का अमीन को विवादित सम्पत्ति का सर्वे मैप व रिपोर्ट बना कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील संस्थित की गयी है।

इस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक एवं तथ्य के विरुद्ध तथा भ्रामक है। जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से लिये गये उक्त आधार का प्रश्न है वादिनी द्वारा अपने वादपत्र के दफा 2 में यह कथन किया है कि वह आराजी मि० 532/2–13 डि० निशानी अक्षर A, B, C, D प्रदर्शित मानचित्र स्वामिनी व अध्यासिनी है, जिसमें उसने जरिए बैनामा दिनांकित 08.10.1971 क्रय किया है। वादिनी का यह भी कथन है कि आराजी निजाई के पक्ष में एक रास्ता है, जिससे वह बराबर आते–जाते है। प्रतिवादीगण आराजी निजाई की A, D, E, F भाग पर कब्जा कर रास्ते को बन्द कर देना चाहते हैं। **वादिनी द्वारा वादपत्र के अंत में दिये गये नक्शानजरी में आराजी निजाई A, D, E, F व रास्ता निजाई F, G, H, I को चिन्हांकित नहीं किया गया है, जिससे आराजी निजाई अस्पष्ट है।** पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से यह निष्कर्षित होता है कि वादिनी द्वारा कथित क्रयसुदा जमीन के पश्चिमी भाग व उसके दक्षिण स्थित रास्ते को निजाई के रूप में दर्शित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा आराजी सं०–532/2 में से केवल –13 डि० रकबा(पूर्वी भाग) क्रय किया है, जबकि उक्त आराजी का संपूर्ण रकबा –23 डि० है। उल्लेखनीय है कि उक्त आराजी के शेष रकबे (पश्चिमी भाग) –10 डि० को वादिनी द्वारा जरिये बैनामे दिनांकित 17.06.1978 व 29.01.1980 क्रय किया जाना कथित है। प्रतिवादीगण के कथनानुसार उनके द्वारा अपनी आराजी सं०–533 के साथ संलग्न दक्षिणी तरफ उक्त क्रयसुदा रकबे पर कथित निर्माण किया जा रहा है। **उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की आराजी सं०–533 जमीन निजाई के उत्तर स्थित है, जिसका कोई विवाद प्रस्तुत वाद में नहीं है। बल्कि प्रस्तुत वाद में विवाद आराजी सं०–532/2 के पश्चिमी भाग व उसके दक्षिण स्थित रास्ते का है। आराजी निजाई सं०–532/2 की उत्तरी सीमा का कोई विवाद प्रस्तुत मामले में नहीं है।**

प्रस्तुत वाद में विवाद आराजी सं०–532/2 का है, जिसमें –13 डि० भूमि(पूर्वी भाग) वादिनी द्वारा तथा शेष –10 डि० भूमि(पश्चिमी भाग) प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गयी है। वादिनी द्वारा अपनी क्रयसुदा भूमि के पूरब–पश्चिम भुजा की कोई नाप अपने वादपत्र में दर्शित नहीं की गयी है, जिससे वादिनी के क्रयसुदा भूमि की पश्चिमी बाउण्ड्री अस्पष्ट है। प्रस्तुत मामले में मुख्यतः विवाद इसी बिन्दु पर है। **प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि विवादित भूमि उसकी आराजी सं०–533 का भाग है।** वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र 119ग प्रस्तुत कर आराजी सं०–532/2 के बावत सर्वे मैप बनवाये जाने याचना की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा की गयी आपत्ति एवं उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में सर्वे मैप बनवाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। आराजी सं०–532 का सर्वे मैप बनने से प्रस्तुत मामले के वास्तविक निस्तारण में कोई सहायता मिलना संभव नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिता त्रुटिपूर्ण है। तद्नुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र छविनाथ सिंह की ओर से संस्थित प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–132/2025 स्वीकार की जाती है। तद्नुसार मूल वाद सं०–1504/2018 शारदा देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि में वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं०–119 ग निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 09.07.2025 उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है। मूल पत्रावली न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ विद्वान अवर न्यायलाय अविलंब वापिस भेजी जाये।

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम,
जौनपुर।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112

दिनांक–24.03.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम,
जौनपुर।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112

दिनांक–24.03.2026